न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 41/2024

देवीलाल पुत्र रूपा जाति कुमावत निवासी राजगढ तह0 वेगूँ .....प्रार्थी

बनाम

शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल कुमावत निवासी राजगढ तह0 वेगूँ .....विपक्षी

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री लालूराम कुमावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :– 24.12.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम राजगढ पटवार हल्का राजगढ तहसील वेगूँ में प्रार्थी एवं विपक्षी के संयुक्त खातेदारी की संयुक्त खरीद की आराजी संख्या 807 रकवा 1.319 हैक्टर भूमि थी जिसके आपसी सहमति से तीन भाग आराजी संख्या 1477/807 रकवा 0.6500 हैक्टर विपक्षी के आराजी संख्या 1478/807 रकबा 0.6500 हैक्टर प्रार्थी के व आराजी संख्या 807 रकवा 0.0200 हैक्टर कुंआ प्रार्थी व विपक्षी के संयुक्त रखा गया।

यह कि विपक्षी की उक्त आराजी संख्या 1477/807 आराजी संख्या 810 मे स्थित सार्वजनिक आम रास्ता से लगती हुई है जो विभाजन में उसके रखी गई व विपक्षी के उत्तरी पश्चिमी तरफ आराजी संख्या 807 का हिस्सा रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि आराजी संख्या 1478/807 प्रार्थी के विभाजन में रखी थी। प्रार्थी की विभाजित भूमि तक पहुचने का मार्ग दोनो की सहमति से करीब 10 फिट चौडा आराजी संख्या 1477/807 की दक्षिणी सीमा पर संलग्न नजरी नक्शा में अ से ब दर्शाया हुआ छोडा गया था जो आराजी संख्या 810 में स्थित आम रास्ता से आराजी संख्या 807 संयुक्त कुंआ तक का है एवं उसके बाद कुंआ भूमि से होकर प्रार्थी अपनी भूमि में पहुंचता है।

यह कि विपक्षी ने प्रार्थी के उक्त रास्ता को हांकते हांकते बहुत ही सकडा कर दिया जिससे प्रार्थी का कृषि यंत्र ले जाकर कृषि कार्य करना दुभर हो रहा है विपक्षी को उल्हाना देने पर लडाई झगडा करता है जिससे प्रार्थी के लिए उक्त रास्ता को 15 फिट चौडा नियमानुसार स्थाई करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना आवश्यक हो गया है।

यह कि आवेदक की आराजी संख्या 1478/807 पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का उक्त वर्णित के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे आराजी संख्या 1477/807 मे आराजी संख्या 810 से आराजी संख्या 807 तक पहुंचने के लिए संलग्न नजरी नक्शा में अ से ब दर्शाये 15 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है जो दिलाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार सम्पूर्ण शुल्क जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी सें नियमानुसार राशि जमा की जाकर ग्राम राजगढ की आराजी संख्या 1477/807 मे आवेदित रास्ता 15 फिट चौडा राजस्व रेकार्ड मे अंकन करने एवं मौके पर खुलवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री लालूराम कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विशेष विवरण की कलम संख्या एक का जवाब इस प्रकार है कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा प्रार्थी विपक्षी ने मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत बंटवाडा नहीं किया है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि विशेष विवरण की कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी ने जमीन खरीदने के अनुसार विक्रेता खातेदार के कब्जे अनुसार काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा प्रार्थी व विपक्षी को विक्रेता खातेदार ने जो रास्ता दिया था उसी अनुसार प्रार्थी व विपक्षी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी के आने जाने हेतु पहले से ही आराजी संख्या 806 से होकर कदीमीरास्ता है परन्तु प्रार्थी विपक्षी की खातेदारी की भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहता है जो गलत है। प्रार्थी ने विपक्षी को रास्ता निकालने के लिये कोई अलग जमीन नहीं दी है।

यह कि विशेष विवरण की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में रास्ते को सकडा करने का जो कथन किया है वो सरासर गलत है। क्यो कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बताये गये स्थान पर मौके पर कोई रास्ता स्थित नहीं है, न्यायालय श्रीमान फिर भी यदि रास्ता दिया उचित मानते है तो प्रार्थी की रास्ता भूमि की मांग के अनुसार उतनी ही भूमि प्रार्थी की भूमि से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है व आवश्यक है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि एक ही मेड है एव मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है, रास्ते के भूमि के बदले विपक्षी की भूमि के सहारे सहारे ही उतनी ही भूमि दिलाया जाना न्यायोचित है।

यह कि प्रार्थी की जमीन पर आने जाने का पूर्व में रास्ता विद्यमान है जिसका प्रार्थी उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी विपक्षी की जमीन की उपयोगिता को समाप्त करने की गरज से नया

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चितौडगढ़)

रास्ता कायम कराना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। क्यो कि प्रार्थी विपक्षी की आराजी में नया रास्ता कायम कराता है तो विपक्षी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में न्यायालय द्वारा रास्ता सम्बन्धी रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 628 दिनांक 25.8.2025 के साथ संलग्न भू0अ0नि0 वृत राजगढ की रिपोर्ट ,पर्चामौका, नक्शाद्रेस एवं रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि की रिपोर्ट जो कि तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा संलग्न कर पेश की है का अवलोकन किया गया।

प्राप्त रिपोर्ट मे अंकित किया है कि प्रार्थी की अपनी निजी खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता आवश्यक है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुचने हेतु अप्रार्थी की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी पर है। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 1477/807 रकबा 0.65 हैक्टर मे से रकबा 50 गुणा 4 यानि 200 वर्गमीटर यानि 0.02 हैक्टर भूमि है जिसको नजरी नक्शे में दर्शाया जाकर संलग्न है।

रास्ता हेतु प्रस्तावित आराजी 1477/807 रकबा 0.65 हेक्टर भूमि वर्तमान में पी.एन.बी बैंक शाखा राजगढ के रहन दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ते के प्रतिकर की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई जाकर संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के बनाने के अधीन अवधारित भूमि मे फसल खडे वृक्ष या संरचना इत्यादि नहीं है।

तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भू.अ.नि.वृत राजगढ अनुसार ग्राम राजगढ प0ह0 राजगढ भू.अ.नि. वृत राजगढ की आराजी संख्या 1477/807 मे से 200 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेंतु प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि का मूल्य डीएलसी 1407000/— है0
डीएलसी का दुगना — 1407000गुणा 2— 2714000/—है वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 14177/807 के प्रभावित भूमिधारको को देय राशि निम्नानुसार हैः—

कुल देय राशि — 2814000/10000गबुणा 200 यानि 56280/—

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1—	65	शंकरलाल पिता कन्हैयालाल कुमावत	सम्पूर्ण	56280

प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र 251 ए पर उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए रास्ता कायम कराये जाने का निवेदन किया है जबकि अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए कहा कि वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास उपलबध है साथ ही कृषि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी को डीएलसी दर से जमीन की कीमतन दिये जाने पर नुकसान होता है रास्ते के सम्बन्ध में दस्तावेज में वर्णिन नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं रिपोर्ट रास्ता सम्बन्धी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी के कृषि भूमि पर पहुंच हेतु यही एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना रिपोर्ट में अंकित किया गया है और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किये जाकर रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान है। प्रार्थी प्रतिकर की राशि जमा कराने को पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार प्रावधानानुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा राजगढ प.ह. राजगढ की आराजी संख्या 1478/807 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि मे आने जाने के लिए रास्ते हेंतु विपक्षी के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा राजगढ की आराजी संख्या 1477/807 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि मे से 200 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेंतु राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से प्रतिकर राशि विपक्षी को मुआवजे के तौर पर दिये जाने हेतु कुल राशि 56280/— रूपये तहसील कार्यालय में जमा कराने पर प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1477/807 मे से 50 गुणा 4— 200वर्गमीटर यानि 0.02 हैक्टर भूमि रास्ते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/972 दिनांक :— 29/12/25

प्रार्थना पत्र संख्या 41/20204 व अनवान देबीलाल बनाम शंकरलाल प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए आर टी एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ